(c) what are the reasons on which these drugs were excluded earlier and what exclusion criteria each fulfilled;

(d) whether it is a fact that their exclusion has resulted in huge benefits to the formulators at the cost of poor people;

(e) what steps have been taken to fix responsibility for wrong exclusion of drugs;

(f) whether his Ministry has fixed the prices of finished medicines based on these drugs;

(g) if so, what price was fixed for each pack and strength and percentage change in each;

(h) what are the names of three major importers and formulators of each drug;

(i) whether it is a fact that most most of the imports are from connected sources and these drugs were deliberately omitted; and

(j) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) and (b) Yes, Sir, the following 21 drugs have been brought under price control:

1. Chlorpromazine
2. Thioridazine
3. Trifluperazine
4. Amitrypty line
5. Imipramine
6. Trimipramine
7. Triprolidine
8. Polymixin B. Sulphate
9. Glipizide
10. Pyrithyldione
11. Zinc Bacitracin
12. Mitomycin
13. Tolnefatate
14. Fluocinolone Acetonide
15. Carbenicillin Sodium
16. Oxyfedrine Hcl.
17. Hysoline N-Butyl Bromide
18. Triamlinolone
19. Naproxen
20. Pyrithioxine
21. L-Dopa

(c) to (e) Kelkar Committee considered a basket of drugs for likely inclusion in price control under Category-II and applied various exclusion principles only to that basket of drugs. The list of Category-II drugs in the DPCO-1987 was thus finalised by the Kelkar-Committee.

(f) to (h) Yes, Sir, Government has recently fixed the price of finished medicines based on aforesaid 21 bulk drugs, details of which are given in the annexed Statement. [*See* Appendix CLIII, Annexure No. 30]

(i) and (j) Government has no information about this.

एलोपैथी और होम्योपैथी डाक्टरों के वेतन और सुविधाओं में अन्तर

714. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब राज्य में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों को एलोपैथिक डाक्टरों के समान वेतन तथा अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब के होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डाक्टरों ने अपनी मांगों के संबंध में फरवरी, 1990 में सरकार को ए ज्ञापन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिजली के उत्पादन में कमी

715. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिजली के संचरण और वितरण में हानि

716. **श्री राम जेठमलानी**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बिजली के संचरण और वितरण में होने वाली हानि की मात्रा बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख)

(ख) हमारे देश में पारेषण एवं वितरण हानियां करीब 22% हैं जो कि अपेक्षाकृत अधिक हैं। इन हानियों में कमी लाने के लिए बिजली की यूटिलिटियों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इसमें अन्यों के साथ-साथ अत्यधिक हानियों के लिए जिम्मेदार प्रणाली घटकों का पता लगाने के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षा करना, वोल्टता अनुप्रस्थ में सुधार लाने के लिए कैपेसिटरों की प्रतिष्ठापना करना, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को मजबूत करने एवं उसमें सुधार लाने के लिए प्रणाली सुधार योजनाएं तैयार करना, ऊर्जा चोरी रोकने के लिए "टेम्परप्रूफ" मीटर बक्से की प्रतिष्ठापना करना एवं ऊर्जा चोरी के मामले का पता लगाने हेतु सतर्कता दल की स्थापना करना शामिल है। ऊर्जा चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के तहत एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। यह योजना 1987 से प्रभावी है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बिजली की यूटिलिटियों ने सतर्कता दलों का गठन किया है तथा अपने पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को मजबूत बनाने तथा सुधार लाने के लिए प्रणाली सुधार योजनाएं बना रही हैं। वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान ऊर्जा की चोरी के आरोप में 19898 व्यक्तियों को अभियोजित एवं जुर्माने तथा कैद अथवा दोनों के रूप में दण्डित